Project Brief

CSVTU Foundation for Rural Technology and Entrepreneurship (CSVTU-FORTE), a section-8 company working at **Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University (CSVTU), Bhilai** is inviting applications from **Women Self Help Groups (SHGs)** for the **distribution of Millet Carts** under the *Millet Mission Initiative, supported by REC Foundation, REC Limited New Delhi*. This program has been launched to encourage **women-led entrepreneurship**, create **local livelihood opportunities**, and promote the **consumption and awareness of millets** among communities. **The Millet Cart will serve as a mobile unit for selling millet-based food products, snacks, and drinks,** helping women become financially independent while spreading awareness about the nutritional value of millets.

Eligible applicants must be **registered SHGs** with a minimum of **five active members** and an **active bank account** in the name of the group. Groups already engaged in millet product preparation, food vending, or nutrition-related activities will be given preference. Priority will be extended to SHGs groups belonging to **Scheduled Tribes**, **Scheduled Castes**, and **Other Backward Classes.**

Selected SHGs will also be provided with **free training** on millet processing, hygienic food handling, and small business management to ensure that they can operate their carts effectively and sustainably. Interested SHGs are requested to submit their applications with all required documents with the help of Online Form available on the CSVTU-FORTE website, before the last date mentioned in the notice. This initiative aims to make rural women self-reliant while taking forward the vision of a **"Healthy and Millet-Enriched Chhattisgarh."**

<u>परियोजना - सार</u>

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (सीएसवीटीयू), भिलाई में कार्यरत Section – 8 कंपनी, सीएसवीटीयू फाउंडेशन फॉर रूरल टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप (सीएसवीटीयू-फोर्टे) **आरईसी फाउंडेशन, आरईसी लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा समर्थित मिलेट मिशन इनिशिएटिव,** के तहत मिलेट-कार्ट वितरित करने हेतु **महिला स्व-सहायता समूहों (SHGs)** से **मिलेट कार्ट वितरण** हेतु आवेदन आमंत्रित कर रही है। इस योजना का उद्देश्य **महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देना**, **ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना**, तथा **मिलेट (पोषक अनाज)** के उपयोग और जन-जागरूकता को बढ़ावा देना है। **यह मिलेट कार्ट एक मोबाइल यूनिट के रूप में कार्य करेगी, जिसके माध्यम से महिलाएँ मिलेट आधारित खाद्य पदार्थ, स्नैक्स एवं पेय पदार्थ बेच सकेंगी** और अपने परिवार की आमदनी बढ़ा सकेंगी।

आवेदन हेतु पात्र समूह वे होंगे जो **पंजीकृत महिला स्व-सहायता समूह** हैं, जिनमें **कम से कम पाँच सक्रिय सदस्य** हों और समूह के नाम से **सक्रिय बैंक खाता** हो। मिलेट उत्पाद निर्माण, विक्रय या पोषण संबंधी गतिविधियों में कार्यरत समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी। **अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति**, और **अन्य पिछड़ा वर्ग** के **महिला स्व-सहायता समूहों (SHGs)** को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

चयनित समूहों को **मिलेट उत्पाद निर्माण, स्वच्छता, विपणन और व्यवसाय प्रबंधन** पर निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिससे वे अपने कार्ट को सफलतापूर्वक संचालित कर सकें। इच्छुक महिला स्वयं सहायता समूहों से अनुरोध है कि वे नोटिस में उल्लिखित अंतिम तिथि से पहले सीएसवीटीयू-फोर्टे वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने आवेदन जमा करें। यह कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और **"स्वस्थ एवं मिलेट समृद्ध छत्तीसगढ़"** की दिशा में एक सशक्त कदम है।

CSVTU-FORTE: NOTICE FOR DISTRIBUTION OF MILLET CARTS

Ref. No.: CSVTU-FORTE/Admin/228 **Date: 10/03/2026**

Subject: Distribution of Millet Carts to Women Self Help Groups (SHGs) under REC-Foundation supported Millet Promotion Initiative

CSVTU-FORTE is inviting applications from **Women Self Help Groups (SHGs)** for the **distribution of Millet Carts** under the *Millet Mission Initiative supported by REC Foundation, REC Limited New Delhi*. Applications are invited from eligible SHGs as per the criteria and guidelines given below.

1. Objectives

- To promote women entrepreneurship through millet-based businesses.
- To increase local availability and consumption of nutritious millets.
- To create livelihood opportunities for rural women and SHG members.

2. Eligibility Criteria

- The applicant must be a **registered Women Self Help Group (SHG)** with at least 5 active members.
- The SHG must have a **functional bank account** in the name of the group.
- The group should be interested in millet-based vending, marketing, or awareness activities.
- Preference will be given to SHGs engaged in millet processing, value addition, or food vending.

3. Documents Required

1. SHG Registration Certificate
2. List of Group Members with Aadhaar copies
3. Group Bank Passbook copy

4. Application & Selection Process

1. The filled application form (attached below) must be submitted to the **CSVTU-FORTE Office** by **21 March 2026 (last date)**.
2. The selection will be carried out by a committee appointed by CSVTU-FORTE.

3. Selected SHGs will receive **basic training on millet cart operation, hygiene, and business management** before allotment.

5. Terms & Conditions

1. The cart is to be used **only for millet-related entrepreneurship and awareness activities.**
2. Sale or transfer of the cart is **strictly prohibited.**
3. Misuse will lead to cancellation of allotment and withdrawal of the asset.
4. The decision of CSVTU-FORTE will be **final and binding.**

APPLICATION FORM FOR MILLET CART ALLOTMENT

1. Applicant Details

Particulars	To be filled by Applicant
Name of SHG	
Registration No.	
Address	
District / Block / Village	
Contact Person Name	
Mobile Number	
Email (if any)	

2. Group Composition

Member Name	Gender	Category (SC/ST/ OBC/General)	Aadhaar No.	Signature
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

(in case of more members attach extra sheet)

3. Bank Details

Field	Details
Bank Name	
Account No.	
IFSC Code	
Branch Name	

4. Proposed Use

(Briefly describe how your SHG plans to use the millet cart)

5. Documents Attached (Tick √)

☐ SHG Registration Certificate
☐ List of SHG Members
☐ Aadhaar Copies of Members
☐ Bank Passbook Copy of SHG

6. Declaration

We hereby declare that the information furnished above is true and correct to the best of our knowledge. We agree to follow all terms and conditions of the CSVTU-FORTE Millet Cart Programme.

Signature: _____
Name: _____
Date: _____
Place: _____

For Office Use Only

Field	Details
Application No.	
Date Received	
Verified By	
Approved / Not Approved	
Remarks	

Authorized Signatory (CSVTU-FORTE)

(Signature & Seal)

Date: _____

CSVTU-FORTE – मिलेट कार्ट वितरण हेतु सूचना

Ref. No.: CSVTU-FORTE/Admin/228 **Date: 10/03/2026**

विषय: आरईसी-फाउंडेशन द्वारा समर्थित मिलेट प्रोत्साहन कार्यक्रम के अंतर्गत महिला स्व-सहायता समूहों (SHGs) को मिलेट कार्ट वितरित करने संबंधी सूचना

सीएसवीटीयू-फोर्टे **आरईसी फाउंडेशन, आरईसी लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा समर्थित मिलेट मिशन इनिशिएटिव,** के तहत मिलेट-कार्ट वितरित करने हेतु **महिला स्व-सहायता समूहों (SHGs)** से आवेदन आमंत्रित कर रही है| पात्र महिला समूहों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

1. उद्देश्य

- मिलेट आधारित उद्यमों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।
- स्थानीय स्तर पर पोषक अनाज (मिलेट) की उपलब्धता और खपत को बढ़ाना।
- ग्रामीण महिलाओं एवं समूहों के लिए आजीविका के अवसर सृजित करना।

2. पात्रता

- आवेदक पंजीकृत महिला स्व-सहायता समूह (SHG) होना चाहिए, जिसमें कम से कम 5 सक्रिय सदस्य हों।
- समूह के नाम से चालू बैंक खाता होना अनिवार्य है।
- समूह को मिलेट आधारित व्यवसाय, विपणन या जनजागरूकता कार्य में रुचि होनी चाहिए।
- मिलेट उत्पाद निर्माण या विक्रय से जुड़े समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी।

3. आवश्यक दस्तावेज़

1. SHG पंजीकरण प्रमाण पत्र
2. समूह सदस्यों की सूची एवं आधार प्रतियाँ
3. समूह बैंक पासबुक की प्रति

4. आवेदन एवं चयन प्रक्रिया

1. संलग्न आवेदन पत्र को अंतिम तिथि **21 मार्च 2026** तक CSVTU-FORTE कार्यालय में जमा करें।
2. चयन प्रक्रिया CSVTU-FORTE द्वारा नियुक्त एक समिति द्वारा की जाएगी।
3. चयनित SHG को **मिलेट कार्ट संचालन, स्वच्छता एवं विपणन प्रशिक्षण** प्रदान किया जाएगा।

5. नियम एवं शर्तें

1. कार्ट का उपयोग केवल मिलेट संबंधित व्यवसाय एवं जनजागरूकता कार्य के लिए किया जाएगा।
2. कार्ट का विक्रय या हस्तांतरण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
3. दुरुपयोग की स्थिति में आवंटन रद्द किया जाएगा।
4. CSVTU-FORTE का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

मिलेट कार्ट आवंटन हेतु आवेदन पत्र

1. आवेदक विवरण

विवरण	आवेदक द्वारा भरा जाए
SHG का नाम	
पंजीकरण संख्या	
पता	
जिला / ब्लॉक / ग्राम	
संपर्क व्यक्ति का नाम	
मोबाइल नंबर	
ईमेल (यदि हो)	

2. समूह सदस्य

नाम	लिंग	वर्ग (एससी/एसटी/ओबीसी/सामान्य)	आधार संख्या	हस्ताक्षर
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

(अधिक सदस्यों के लिये अतिरिक्त शीट संलग्न करें)

3. स्वयं सहायता समूह के बैंक का विवरण

विवरण	प्रविष्टि
बैंक का नाम	
खाता संख्या	
IFSC कोड	
शाखा का नाम	

4. उपयोग का उद्देश्य

(समूह मिलेट कार्ट का उपयोग किस प्रकार करेगा, कृपया संक्षेप में लिखें)

5. संलग्न दस्तावेज़

☐ स्वयं सहायता समूह पंजीकरण प्रमाण पत्र

☐ स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की सूची

☐ सदस्यों के आधार कार्ड की प्रतियां

☐ समूह के बैंक पासबुक की प्रति

6. घोषणा

हम यह घोषित करते हैं कि उपरोक्त जानकारी सत्य है और हम CSVTU-FORTE मिलेट कार्ट कार्यक्रम के सभी नियमों का पालन करेंगे।

हस्ताक्षर: _____

नाम: _____

दिनांक: _____

स्थान: _____

केवल कार्यालय उपयोग हेतु

विवरण	**प्रविष्टि**
आवेदन क्रमांक	
प्राप्ति तिथि	
सत्यापनकर्ता	
अनुमोदन स्थिति	
टिप्पणी	

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (CSVTU-FORTE)

(हस्ताक्षर एवं मुहर)

दिनांक: _____